

## अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 8 और 7 )

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, जिला-उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 85/24 (वाद)

GCMS NO: 2024/252

अनवान

- श्री लोकेश मेघवाल पिता हरिराम मेघवाल जाति मेघवाल निवासी निमडी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

.....वादी

बनाम

- श्री मांगीलाल पिता भगा सालवी जाति सालवी जाति सालवी निवासी चारगदिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
- श्री बरदीचन्द पिता भगा सालवी जाति सालवी निवासी चारगदिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
- श्रीमती कंकुबाई पुत्री भगा पत्नी छोगालाल सालवी जाति सालवी निवासी चारगदिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. हाल निवासी चाकुडी तहसील भूपालसागर जिला धित्तौडगढ राज.।
- श्री राज्य सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहय भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

.....प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14.07.2025 को श्री रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S. सहायक कलक्टर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है-और डिक्री दी जाती है कि मौजा चारगदिया पटवार हल्का चारगदिया भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की निम्न आराजियात का बटवाडा गिम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र.सं.	खातेदार का नाम	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	लोकेश मेघवाल पुत्र हरिराम मेघवाल सा. देह खातेदार	920/1	0.08	वा.हि.	0.40
		920/3	0.05	वा.हि.	0.25
		921/1	0.08	वा.हि.	0.40
		922/1	0.07	वा.प्र.	0.63
		922 मी.	0.04	वा.प्र.	0.36
		923/1	0.05	वा.हि.	0.25
		923 मी.	0.08	वा.हि.	0.30
योग		किता 7	0.4300	-	2.59
2	मांगीलाल पुत्र भगा 1/3 सालवी, बरदीचन्द पुत्र भगा 1/3 सालवी, कंकु बाई पुत्री भगा 1/3 सालवी सा. देह खातेदार	920/2	0.05	वा.हि.	0.25
		921 मी.	0.05	वा.हि.	0.25
		922/2	0.05	वा.प्र.	0.45
		923/2	0.05	वा.हि.	0.25
योग		किता 4	0.2000	-	1.20
3.	लोकेशकुमार मेघवाल पुत्र हरिराम 2/3 जाति मेघवाल सा. देह, मांगीलाल पुत्र भगा 1/9 सालवी, बरदीचन्द पुत्र भगा 1/9 सालवी, कंकुबाई पुत्री भगा 1/9 सालवी सा. देह	920 मी.	0.02	वा.हि.	0.10
योग		किता 1	0.0200	-	0.10

नोट- उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फॉसल शुमार नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

